

अत्यन्त महत्वपूर्ण
विधानसभा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
कार्यालय उद्योग आयुक्त
उद्योग सदन, 419, औद्योगिक क्षेत्र
पटपड़गंज, दिल्ली-92

फा0 सं सी.आई./डी.सी.आई./क्यू.सी./2018/ 529-531 दिनांक: 3-8-18
सेवा में,

उप सचिव(प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधानसभा सचिवालय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
पुराना सचिवालय, दिल्ली -54.

विषय: दिल्ली विधानसभा ~~त~~ / अतारांकित प्रश्न संख्या 177 दिनांक 08.08.2018 को
सदन की बैठक हेतु ।

महोदय,

आपको उपरोक्त विषय में उद्धृत विधानसभा प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियां, माननीय
मंत्री, उद्योग विभाग, दिल्ली सरकार, द्वारा अनुमोदित अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न है ।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

भवदीया,

लक्ष्मी कृष्णन
(लक्ष्मी कृष्णन)

उपायुक्त उद्योग (प्र0शा0)

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, माननीय उद्योग मंत्री, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को प्रश्न के उत्तर की
दो प्रतियां सहित ।
2. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली को प्रश्न के उत्तर
की 150 प्रतियों सहित ।

लक्ष्मी कृष्णन


उपायुक्त उद्योग (प्र0शा0)

विभाग का नाम :- कार्यालय आयुक्त उद्योग
विभाग का पता:-कार्यालय आयुक्त उद्योग,
उद्योग सदन, 419, औद्योगिक क्षेत्र पटपड़गंज, दिल्ली-110092

अतारांकित प्रश्न संख्या : 177
दिनांक 08/08/2018
प्रश्नकर्ता का नाम : श्री पवन कुमार शर्मा

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

प्रश्न संख्या	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह सत्य है कि डीएसआईडीसी औद्योगिक विकास के लिए समय समय पर इच्छुक व्यक्तियों व संस्थाओं को प्लॉट उद्योग धंधे के लिए अलॉट करती रही है;	जी हाँ ।
(ख)	क्या यह भी सत्य है कि अलॉटी व्यक्ति या संस्था को अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए पूर्व में डीएसआईडीसी ऋण (permission to mortgage) लेने के लिए एनओसी देती रहती है;	जी हाँ।
(ग)	यदि हाँ, तो क्या डीएसआईडीसी वर्तमान में भी ऋण के लिए एनओसी दे रही है; और	जी हाँ, आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने पर एनओसी दिया जाता है। एनओसी के लिए आवेदन पत्र, आवश्यक दस्तावेजों का विवरण तथा अन्य विस्तृत जानकारी डी.एस. आई.आई.डी.सी की वेबसाइट www.dsiidc.org के पुनर्स्थापन शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध है।
(घ)	यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?	उपरोक्त कथानुसार लागू नहीं है।


(विनोद कुमार)
उपायुक्त (उद्योग)